

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स 34-6(9)स्था/मंत्रा/अभि/21/8767-99  
-: आदेश:-

दिनांक : 07/9/21

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन ) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -11 में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिक का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध घयन किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जयप्रकाश मीणा पुत्र श्री किशोरी लाल	एस0टी0 (सामान्य पद के विरुद्ध)	सहायक निदेशक अभियोजन सीकर	01.04.2021	
2.	श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री भूरामल	एस0टी0 (सामान्य पद के विरुद्ध)	सहायक निदेशक अभियोजन राजसमंद	01.04.2021	
3.	श्री सत्यनारायण पचारिया पुत्र श्री हरिकिशन	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन जोधपुर	01.04.2021	
4.	श्री अनिल कुमार राजपुरोहित पुत्र श्री चैनसिंह	सामान्य	उप निदेशक अभियोजन जोधपुर	01.04.2021	
5.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र श्री हरफूल राम शर्मा	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन गंगानगर	01.04.2021	
6.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी पुत्र श्री ईश्वर राम	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन चूरु	01.04.2021	
7.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा	सामान्य	अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर	01.04.2021	
8.	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री अमरचन्द	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन पाली	04.05.2021	
9.	श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री रामजी लाल	एस0टी0 (सामान्य पद के विरुद्ध)	सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर द्वितीय	01.07.2021	
10.	श्री धर्मेन्द्र देवनानी पुत्र श्री ईश्वरदास	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन अजमेर	01.07.2021	
11.	श्री शिव कुमार आचार्य पुत्र श्री सोहन लाल	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन बोकानेर	01.07.2021	
12.	श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री निरंजन कृपाल	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन हनुमानगढ़	01.09.2021	
13.	श्री परबत सिंह पुत्र श्री जयसिंह	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन जोधपुर	01.10.2021	
14.	श्री सुन्दरपाल सिंह तंवर पुत्र श्री महेन्द्रपाल सिंह तंवर	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन कोटा	01.12.2021	
15.	श्री मुरारी लाल वर्मा पुत्र श्री सन्तराम	सामान्य	सहायक निदेशक अभियोजन हनुमानगढ़	01.03.2022	

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प 13 (5) साप्र/3/2008 दिनांक 10.08.2021 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(चंचल मिश्रा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (गु) सहित।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर



राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- सं. 24-6(2)स्था/पदो./अभि/2021/8800-8810 दिनांक :- 07/9/2021

**-: आदेश :-**

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 दिनांक 01.04.2021 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री रविन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री चन्द्रशेखर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिस लेवल -11 में पदोन्नत किया जाता है।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/2008 दिनांक 10.08.2021 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

  
(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
7. सम्बन्धित कार्मिक ।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक/अभियोजन  
राजस्थान जयपुर